एक वर्ष में साइबर ठगी के 95 प्रतिशत मामले बढ़े, रिटायर्ड अधिकारी व डाक्टर हुए शिकार

राज्य में वर्ष 2024 में साइबर ठगों ने की 300 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी

रोहित कुमार • जागरण

चंडीगढ़ : खुद को गोली मारने वाले सेवानिवृत्त आइजी अमर सिंह चहल साइबर ठगों के कोई पहले शिकार नहीं हैं। आम लोगों के साथ-साथ सेवानिवृत्त अधिकारी, डाक्टर और उद्योगपति भी साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं। राज्य में पिछले दो वर्षों में साइबर अपराध के मामलों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक वर्ष में साइबर ठगी के 95 प्रतिशत मामले बढ़ गए हैं। 2023 और 2024 में डिजिटल हाउस अरेस्ट, फर्जी हाउस एड्रेस और फर्जी एजेंसी के नाम पर साइबर ठगी के रिकार्ड मामले सामने आए हैं। पंजाब पुलिस साइबर सेल के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में साइबर ठगी के लगभग 600 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में यह संख्या 12,000 से अधिक हो गई। इन मामलों में लोगों से लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है।

जांच में स्पष्ट हुआ है कि ठगों के पास पीड़ितों का पूरा हाउस एड्रेस, पारिवारिक जानकारी और बैंक डाटा पहले से मौजूद था। डाटा स्रोत में लीक एप्स, ई-कामर्स प्लेटफार्म और इंटरनेट मीडिया शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षित लोग इसलिए ठगी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वे सिस्टम और कानून पर भरोसा करते हैं। ठग सरकारी भाषा व उच्च पदों का इस्तेमाल कर भ्रमित करते हैं। अधिकारियों के अनुसार, साइबर ठग विदेशी नंबरों के जरिये संगठित गिरोहों की मदद से ठगी का सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चला रहे हैं। ठग दुबई, कंबोडिया, म्यांमार और नेपाल से इंटरनेट काल और इंटरनेशनल नंबरों के जरिये पंजाब के लोगों को निशाना बना रहे हैं।

2023 में साइबर ठगी के 600 मामले दर्ज हुए, 2024 में यह संख्या 12,000 से अधिक हुई

इस वर्ष 79.96 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की : डीजीपी

इस वर्ष साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि राज्य में इस वर्ष 418.29 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई है। इनमें से 79.96 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं। यह राशि कुल ठगी का 19 प्रतिशत से अधिक है। पंजाब साइबर ठगी की राशि रिकवर करने के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। इस वर्ष बहु-करोड़ी साइबर धोखाधड़ी में शामिल 18 अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है।

गौरव यादव • फाइल फोटो

अब तक की प्रमुख घटनाएं

जुलाई 2023 मोहाली में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी आरके वर्मा को ठगों ने खुद को सीबीआइ अधिकारी बताकर वीडियो काल पर डिजिटल हाउस अरेस्ट किया। तीन दिन उन पर घर से बाहर न निकलने और किसी से बात न करने का दबाव बनाए रखा। इस दौरान अलग-अलग खातों में एक करोड़ 20 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

नवंबर 2023 लुधियाना में उद्योगपति संजय गुप्ता को फर्जी प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी बनकर काल किया गया। ठगों के पास उनका पूरा हाउस एड्रेस और बैंक डिटेल पहले से मौजूद था। डर दिखाकर उनसे 80 लाख रुपये आनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए।

फरवरी 2024 अमृतसर में कार्डियोलाजिस्ट डा. हरप्रीत सिंह को फर्जी पुलिस अधिकारी के नाम पर वीडियो काल पर डिजिटल हाउस अरेस्ट किया गया। काल के दौरान ठगों ने फर्जी वर्दी और आइडी दिखाकर 45 लाख रुपये ठग लिए।

जून 2024 जालंधर में प्रोफेसर डा. अमित कुमार शर्मा को तीन दिन तक वीडियो काल पर रखा गया और उनसे 25 लाख रुपये की ठगी की गई। ठगों ने कानूनी भाषा और डर का इस्तेमाल किया, जिससे काल असली लग रही थी।

सितंबर 2024 पटियाला में रिटायर्ड जज जस्टिस बीएस ढिल्लों के परिवार को फर्जी ईडी नोटिस भेजा गया। उनके बेटे को वीडियो काल पर धमकी दी गई कि संपत्ति जब्त हो जाएगी। डर के माहौल में 60 लाख रुपये ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।

ऐसे बचें आनलाइन ठगी से

- अगर कोई स्कीम कम समय में दोगुना पैसा या गारंटेड रिटर्न का दावा करे तो सावधान हो जाएं। निवेश में हमेशा जोखिम होता है।
- वाट्सएप, टेलीग्राम या एसएमएस से आए निवेश लिंक पर क्लिक न करें। ये अक्सर फर्जी वेबसाइट या एप की ओर ले जाते हैं।
- किसी भी निवेश प्लेटफार्म या कंपनी की वैधता जांचें। भारत में वैध वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत काम करती हैं।
- ओटीपी, बैंक डिटेल, यूपीआइ पिन, आधार या पैन नंबर किसी को भी न दें। चाहे सामने वाला खुद को कितना बड़ा अधिकारी ही क्यों न बताए।
- प्ले स्टोर/ऐप स्टोर पर भी कई नकली निवेश एप होते हैं। डाउनलोड से पहले रिव्यू, डेवलपर जानकारी और वेबसाइट जरूर जांचें।
- अगर ठगी हो जाए तो तुरंत बैंक को सूचित करें और साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

'घोस्ट पेयरिंग घोटाला' : बिना ओटीपी अकाउंट हो रहा हैक

वाट्सएप उपयोगकर्ता रहें सावधान..., वाट्सएप के लिंक्ड डिवाइस फीचर का गलत फायदा उठा रहे साइबर ठग

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने वाट्सएप उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर अलर्ट जारी किया है। पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधी अब नए तरीके से लोगों के वाट्सएप अकाउंट को कब्जे में ले रहे हैं। इस नए साइबर अपराध को घोस्ट पेयरिंग घोटाला कहा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस ठगी में न तो ओटीपी की जरूरत होती है और न ही पासवर्ड की। पंजाब पुलिस ने बताया कि यह चेतावनी भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट इन की रिपोर्ट के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर अपराधी वाट्सएप के लिंक्ड डिवाइस फीचर का गलत फायदा उठा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाट्सएप या कोई भी सरकारी विभाग कभी भी फोन या संदेश के जरिये क्यूआर कोड स्कैन करने को नहीं कहता। ऐसे किसी भी संदेश, काल या लिंक से सावधान रहने की जरूरत है।

पंजाब पुलिस ने चेतावनी दी है कि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इस घोस्ट पेयरिंग घोटाले की जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं।

क्या है घोस्ट पेयरिंग घोटाला : पंजाब पुलिस के मुताबिक, घोस्ट पेयरिंग घोटाले में अपराधी वाट्सएप के लिंक्ड डिवाइस सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। सामान्य रूप से इस सुविधा का इस्तेमाल मोबाइल के वाट्सएप अकाउंट को कंप्यूटर या लैपटाप से जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन हैकर इसी प्रक्रिया के जरिये अकाउंट पर कब्जा कर लेते हैं। इस घोटाले में साइबर अपराधी पहले उपयोगकर्ता को फर्जी काल, संदेश या वीडियो काल करते हैं। इसके बाद नौकरी, इनाम, अकाउंट सत्यापन या वाट्सएप सहायता के नाम पर एक क्यूआर कोड भेजा जाता है। जैसे ही उपयोगकर्ता उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है, उसका वाट्सएप अकाउंट हैकर के सिस्टम से जुड़ जाता है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि उपयोगकर्ता को इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। हैकर चुपचाप पूरे अकाउंट को नियंत्रित करने लगता है और चैट, फोटो, वीडियो, संपर्क सूची के साथ-साथ निजी जानकारी का भी गलत इस्तेमाल करता है।

घोस्ट पेयरिंग घोटाले से बचाव के उपाय

- वाट्सएप के लिंक्ड डिवाइस सेक्शन को नियमित रूप से जांचें।
- अगर कोई अनजान डिवाइस जुड़ा दिखाई दे तो लाग आउट करें।
- किसी भी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें।
- वाट्सएप में टू-स्टेप सत्यापन सुविधा जरूर चालू रखें।
- साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

मजीठिया के खिलाफ तीन जनवरी को होंगे आरोप तय

जागरण संवाददाता, मोहाली : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को मोहाली की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में आरोप तय नहीं हो पाए। अब तीन जनवरी को अदालत में आरोप तय किए जाएंगे। बता दें कि विजिलेंस की ओर से अदालत में पहले ही 40,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की हुई। मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने 22 अगस्त को मोहाली अदालत में चालान पेश किया था। चालान में 200 से अधिक गवाहों को शामिल किया गया है और चार्जशीट अदालत में पेश की गई। इससे पहले मजीठिया जमानत के लिए हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी 2026 को होगी।

बिक्रम मजीठिया • फाइल फोटो

बता दें कि विजिलेंस ने 25 जून को मजीठिया को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। इसमें अब तक पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत छह लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

एक नजर में

विधवा व आश्रित महिलाओं को 895 करोड़ की मदद

चंडीगढ़ : राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। विधवा और आश्रित महिलाओं को अब तक 895 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक राज्य की 6 लाख 75 हजार 857 पात्र लाभार्थी महिलाओं को यह वित्तीय सहायता नियमित रूप से प्रदान की जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा मिल रहा है। (राब्यू)

फरीदकोट की डीसी के नाम पर ठगी का प्रयास

फरीदकोट : डीसी पूनमदीप कौर के नाम पर विदेशी नंबर से वाट्सएप मैसेज करके रुपये मांगने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा वियतनाम के एक नंबर 84 925572104 पर डीसी की फोटो लगा लोगों से वाट्सएप चैट के माध्यम से पैसों की मांग की जा रही है। पुलिस के साइबर सेल द्वारा जांच जा रही है। (जासं)

करंट लगने से बेटे की मौत, सदमे में मां ने भी तोड़ा दम

पटियाला : गांव बाबरपुर में ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइनमैन संजीव कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। जैसे ही बेटे की मौत की खबर मां शिमला रानी ने सुनी, उसने भी सदमे में दम तोड़ दिया। पिता दर्शन चंद के बयान पर पुलिस ने जेई हरप्रीत सिंह पर मामला दर्ज किया है। हरप्रीत पर आरोप है कि उसने बिजली चालू रहते हुए ट्रांसफार्मर में खराबी ठीक करने के लिए लाइनमैन को बिना परमिट के ऊपर जाने दिया। जासं

पंजाबी गायिका अमर नूरी को मिली धमकी

खुद को इंस्पेक्टर बता आरोपित ने कहा-बेटे को गाने से रोको वर्ना अंजाम बुरा होगा, सरदूल सिकंदर की पत्नी हैं अमर नूरी

संवाद सूत्र, जागरण• खन्ना (लुधियाना) : पंजाबी गायिका और अदाकारा अमर नूरी को एक धमकी भरी काल मिली। काल करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह बताते हुए अमर नूरी को धमकाया है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। आरोपित ने कहा कि अमर नूरी का बेटा, जो संगीत और गायन के क्षेत्र में सक्रिय है, यदि गाना-बजाना और म्यूजिक का काम बंद नहीं करता तो उसे और उसके पूरे परिवार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमन नूरी प्रसिद्ध गायक सरदूल सिकंदर की पत्नी हैं। धमकी भरी काल आने के बाद अमर नूरी और उनके परिवार ने पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर), मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपित तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि काल करने वाले ने पुलिस अधिकारी की फर्जी पहचान क्यों अपनाई। डीएसपी मोहित सिंगला ने बताया कि अमर नूरी को 16 दिसंबर को यह धमकी भरी काल आई थी। अब तक इस मामले में तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

अमर नूरी • सौ. इंटरनेट मीडिया

घर पर पुलिस तैनात

डीएसपी मोहित सिंगला ने बताया कि जांच के दौरान जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अमर नूरी को सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। उनके घर और आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है।

एचएमईएल बठिंडा व लुधियाना में करेगी 2,600 करोड़ का निवेश

राज्य ब्यूरो, जागरण चंडीगढ़ : एचएमईएल रिफाइनरी बठिंडा में अब 2,600 करोड़ रुपये का और निवेश करने जा रही है जिसके तहत पालिप्रोपलीन की डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, साथ ही फाइन केमिकल के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। यह घोषणा मंगलवार को रिफाइनरी के सीईओ प्रभदास और उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने एक संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में की।

पूरन शाहकोटी सुपुर्द-ए-खाक

उस्ताद पूरन शाहकोटी की सुपुर्द ए खाक रस्म के मौके पर गायक हंसराज हंस। उनके साथ हैं युवराज हंस और गायक मानक अली• जागरण

जागरण संवाददाता, जालंधर : सुबह के नौ बज रहे थे। मास्टर सलीम की आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अन्य कलाकारों और लोगों की आंखें भी नम थीं। सोमवार को उस्ताद पूरन शाहकोटी के अंतिम दर्शन करने के बाद उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक देओल नगर में उनके घर के पास ही सैकड़ों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वहां मौजूद कलाकारों ने कहा कि संगीत के एक युग का अंत हुआ है। उनका दुनिया से चले जाना पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को क्षति है।

पद्मश्री हंसराज हंस, जसबीर सिंह जस्सी, कलेर कंठ, राय जुझार, गुरलेज अख्तर, युवराज हंस, माशा अली, बूटा मुहम्मद, कुलविंदर कैली, जी खान, परवेज आलम, फिरोज खान, म्यूजिक डायरेक्टर सचिन आहुजा, बलविंदर विक्की (चाचा रौणकी राम) व केएस मक्खन के अलावा मंत्री मोहिंदर भगत, पूर्व विधायक केडी भंडारी व आप के सेंट्रल हलका इंचार्ज नितिन कोहली ने परिवार से संवेदना व्यक्ति की। उस्ताद पूरन शाहकोटी के बेटे मास्टर सलीम मीडिया के सामने भावुक हो गए। सलीम ने कहा कि उनके पिता की अंतिम रस्मों की वीडियोग्राफी न की जाए।

अपने पिता और गुरु उस्ताद पूरन शाहकोटी की सुपुर्द ए खाक रस्म के बाद फूट-फूट कर रोए पंजाबी गायक मास्टर सलीम• जागरण

देश से तीन करोड़ बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाए : तोगड़िया

जासं, जालंधर : अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने देश में हिंदुओं की कम हो रही संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। तीन बच्चे, हिंदू सच्चे का नारा बुलंद करते हुए तोगड़िया ने कहा कि विभाजन के दौरान देश में हिंदुओं की जनसंख्या 86 प्रतिशत थी, जो अब कम हो कर 78 प्रतिशत रह गई है।

धुंध के बीच षड्यंत्र की आशंका, गहन तलाशी ली

संवाद सहयोगी, जागरण• पठानकोट: नववर्ष से पहले सीमा पर धुंध के बीच पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले षड्यंत्र के इनपुट के मद्देनजर पुलिस और बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। एजेंसियों ने पठानकोट के सीमावर्ती क्षेत्रों और जम्मू के कठुआ क्षेत्र में अतिरिक्त चौकसी बरतने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्च आपरेशन चलाया और पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते नदी-नालों और सुनसान क्षेत्रों में तलाशी ली। जवानों ने उज्ज दरिया, तरनाह नाले और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सर्च की। इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

सार्वजनिक सूचना

श्री राजीव तिवारी, सहायक संपदा अधिकारी, यूटी., चंडीगढ़ के समक्ष

विषय : स्व. श्रीमती शशि किरन की पंजीकृत वसीयत के आधार पर 25% हिस्से के विस्तार तक वाणिज्यिक एससीओ सं. 186, सेक्टर 7-सी, चंडीगढ़ (सीपीएल 5407) के संबंध में लीज होल्ड अधिकारों का हस्तांतरण।

आम जनता एवं सभी संबंधित की जानकारी हेतु एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार, श्रीमती शशि किरन 25% हिस्से के विस्तार तक वाणिज्यिक एससीओ सं. 186, सेक्टर 7-सी, चंडीगढ़ की स्वामिनी/लीजी है। आशीष महाजन द्वारा सूचित किया गया है कि श्रीमती शशि किरन की 22.12.2021 को मृत्यु हो गई है तथा उसने मृतक स्वामिनी/लीजी के निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारियों को भी सूचित किया है:-(1) अशोक कुमार महाजन (पति-मृतक) (2) काजल किरण (पुत्री) (3) आशीष महाजन (पुत्र) अब, आशीष महाजन ने पंजीकृत वसीयत दिनांक 28.05.2022 के आधार पर अपने पक्ष में स्व. श्रीमती शशि किरन द्वारा आयोजित 25% हिस्से के विस्तार तक वाणिज्यिक एससीओ सं. 186, सेक्टर 7-सी, चंडीगढ़ के संबंध में लीज अधिकारों के हस्तांतरण हेतु आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति को मृतक के उक्त वर्णित के अलावा किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी के बारे में कोई जानकारी हो तो वह तत्काल संपदा अधिकारी, यूटी., चंडीगढ़ को सूचित करें।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त नामतः आवेदक के पक्ष में कथित संपत्ति में कथित हिस्से के हस्तांतरण के विरूद्ध कोई आपत्ति है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में (मजीस्ट्रेट/नोटरी द्वारा पूर्ववत सत्यापित शपथपत्र के साथ समर्थित) लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता/सकती/सकते हैं, जिसमें असफल होने पर कथित संपत्ति में कथित हिस्सा उक्त नामतः लाभार्थी के नाम में तदनुसार हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं बाद में कोई दावा विचारणीय नही होगा।

श्री राजीव तिवारी, सहायक संपदा अधिकारी, संपदा अधिकारी, यूटी., चंडीगढ़ की शक्तियों का निर्वहन करते हुए

सार्वजनिक सूचना

श्री राजीव तिवारी, सहायक संपदा अधिकारी, यूटी., चंडीगढ़ के समक्ष

विषय : स्व. श्रीमती राज रानी की पंजीकृत वसीयत के आधार पर 25% हिस्से के विस्तार तक वाणिज्यिक एससीओ सं. 186, सेक्टर 7-सी, चंडीगढ़ (सीपीएल 5407) के संबंध में लीज होल्ड अधिकारों का हस्तांतरण।

आम जनता एवं सभी संबंधित की जानकारी हेतु एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार, श्रीमती राज रानी 25% हिस्से के विस्तार तक वाणिज्यिक एससीओ सं. 186, सेक्टर 7-सी, चंडीगढ़ की स्वामिनी/लीजी है। आशीष महाजन द्वारा सूचित किया गया है कि श्रीमती राज रानी की 18.08.2009 को मृत्यु हो गई है तथा उसने मृतक स्वामिनी/लीजी के निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारियों को भी सूचित किया है:-(1) पायल गुप्ता (पौत्री) (2) रत्तन लाल (पति-मृतक) (3) आशीष महाजन (पौत्र) (4) इंद्रजीत गुप्ता (दामाद) (5) अशोक महाजन (पुत्र-मृतक) (6) शशि किरण (पुत्रवधू-मृतक) (7) काजल किरण (पौत्री) (8) नीलम गुप्ता (पुत्री-मृतक)। अब, आशीष महाजन ने पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.11.2001 के आधार पर अपने पक्ष में स्व. श्रीमती राज रानी द्वारा आयोजित 25% हिस्से के विस्तार तक वाणिज्यिक एससीओ सं. 186, सेक्टर 7-सी, चंडीगढ़ के संबंध में लीज अधिकारों के हस्तांतरण हेतु आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति को मृतक के उक्त वर्णित के अलावा किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी के बारे में कोई जानकारी हो तो वह तत्काल संपदा अधिकारी, यूटी., चंडीगढ़ को सूचित करें।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त नामतः आवेदक के पक्ष में कथित संपत्ति में कथित हिस्से के हस्तांतरण के विरूद्ध कोई आपत्ति है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में (मजीस्ट्रेट/नोटरी द्वारा पूर्ववत सत्यापित शपथपत्र के साथ समर्थित) लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता/सकती/सकते हैं, जिसमें असफल होने पर कथित संपत्ति में कथित हिस्सा उक्त नामतः लाभार्थी के नाम में तदनुसार हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं बाद में कोई दावा विचारणीय नही होगा।

श्री राजीव तिवारी, सहायक संपदा अधिकारी, संपदा अधिकारी, यूटी., चंडीगढ़ की शक्तियों का निर्वहन करते हुए

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

बनूर शाखा: दूरभाष सं. 01762-251424, 01762-252503 ई-मेल: Banur.Ludhiana@bankofindia.bank.in

सार्वजनिक सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण की धारा 13(2) के अधीन सूचना

निम्न वर्णित आप सभी पार्टियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक आपके विरुद्ध प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन कार्यवाही करेगा, अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सूचना पृथक तौर पर पंजीकृत डाक द्वारा आपको भेजी गई थी, पावती अवितरित वापस प्राप्त हुई है। इसलिए आपको इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर संयुक्त तौर पर अथवा पृथक तौर पर बकाया देय राशि का भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर, बैंक अधिनियम के अधीन परिकल्पित अनुसार ब्याज एवं लागतों के साथ उगाही हेतु निम्न वर्णित संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। यह उल्लिखित करना आवश्यक नहीं है कि आपको संबोधित सूचना बैंक से उपलब्ध किसी अन्य उपचार से पूर्वाग्रह के बिना है।

ऋणी एवं सह-ऋणी/गारंटर का नाम एवं पता	मोर्टगेज्ड/हाईपोथिकेट्ड परिसंपत्तियां	सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि	बकाया देय राशि
ऋणीः **श्री दलीप कुमार पुत्र श्री नाथु राम** (मृतक) को उसके कानूनी उत्तराधिकारीः**श्रीमती रजनी वाधवा पत्नी श्री दलीप कुमार** (स्पाउस), **श्रीमती रजनी वाधवा पत्नी श्री दलीप कुमार** (अव्यस्क पुत्र की ओर से) एवं गारंटर **श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री नाथु राम** (माता), मकान सं. 3165/1, सेक्टर 47-डी, चंडीगढ़-160047 के माध्यम से।	श्री दलीप कुमार पुत्र श्री नाथु राम के नाम में ड्वेलिंग यूनिट सं. 3165/1, प्रथम तल, एलआईजी श्रेणी, सेक्टर 47-डी, चंडीगढ़-160047 में स्थित रिहायशी संपत्ति के इक्विटेबल मोर्टगेज, चौहद्दी निम्नानुसारः- उत्तरः डीयू सं. 3164, दक्षिणः डीयू सं. 3166, पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः रोड।	**15.12.2025**	**01.12.2025**	रु. 23,13,946.82 जमा 03.11.2025 से प्रभावी ब्याज (सूचना की तिथि तक संविदात्मक देय राशि) तथा उस पर @10.35% वार्षिक आगामी ब्याज के साथ @2% दण्डात्मक ब्याज सहित मासिक अंतरालों के साथ चक्रवृद्धि, और भुगतान की तिथि तक बैंक द्वारा उपार्जित सभी लागत, प्रभारों एवं खर्चों के साथ।

आपको आगे यह नोट करने का परामर्श दिया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको उक्त प्रतिभूति के साथ निपटान/डिलिंग अथवा बिक्री, लीज अथवा अन्य द्वारा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया गया है। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार, आपको सिक्योर्ड परिसंपत्तियों को मुक्त कराने का अधिकार केवल सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना प्रकाशन की तिथि तक उपलब्ध होगा।

दिनांकः 23.12.2025 स्थानः बनूर प्राधिकृत अधिकारी

SECTION 1

Executive Engineer, Chopal Division HPPWD Chopal

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Executive Engineer, Chopal Division, HPPWD Chopal on behalf of Governor of Himachal Pradesh **invites the Percentage Rate Bids**, in electronic tendering system, for following work(s), from the eligible and approved contractors registered with HPPWD.

Sr. No.	Name of the work	Estimated Cost (Rs.)	Period of Completion	Bid Security (Rs.) (Online)	Cost of tender form (Rs.) (Online)
1	Restoration on various roads under Naura Section under Kupvi Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips/ debris at various roads in Naura Section.	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
2	Restoration on various roads under Kupvi Section under Kupvi Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips/ debris at various roads in Kupvi Section.	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
3	Restoration on various roads under Chambi Section under Chopal Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/ slips/debris at various roads in Chambi Section.	346800/-	Three months.	7000/-	500/-
4	Restoration on various roads under Chopal Section under Chopal Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips/ debris at various roads in Chopal Section.	204000/-	Three months.	4100/-	500/-
5	Restoration on various roads under Pulbahal Section under Chopal Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/ slips/debris at various roads in Pulbahal Section.	275400/-	Three months.	5500/-	500/-
6	Restoration on various roads under Sarain Section under Chopal Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips/ debris at various roads in Sarain Section.	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
7	Restoration on various roads under Dhabas Section under Chopal Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/ slips/debris at various roads in Dhabas Section.	234600/-	Three months.	4700/-	500/-
8	Restoration on various roads under Jhiknipul Section under Shallu Sub Division Nerwa (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips/debris).	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
9	Restoration on various roads under Nerwa-I Section under Shallu Sub Division Nerwa (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips/debris).	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
10	Restoration on various roads under Rewalpul Section under Shallu Sub Division Nerwa (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips/debris).	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
11	Restoration on various roads under Nerwa-II Section under Shallu Sub Division Nerwa (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips/debris).	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
12	Restoration on various roads under Pulbahal Section under Chopal Sub Division (SH: Supplying and stacking of crushed sand in Pulbahal Section of Chopal Sub Division).	165000/-	Three months.	3300/-	500/-
13	Restoration on various roads in Feduj Section under PIU Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips, debris).	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
14	Restoration on various roads in Kuthar Section under PIU Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips, debris). Tharoch side	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
15	Restoration on various roads in Kuthar Section under PIU Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips, debris) Shilla Side	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
16	Restoration on various roads in Shamtha Section under PIU Sub Division (SH: Hiring of JCB for removal of snow/slips, debris).	255000/-	Three months.	5100/-	500/-
17	Restoration on various roads under PIU Sub Division Nerwa (SH: Supplying and stacking of crushed sand).	220000/-	Three months.	4400/-	500/-
18	Restoration on various roads under Shallu Sub Division Nerwa (SH: Supplying and stacking of crushed sand).	220000/-	Three months.	4400/-	500/-

1. Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: **22.12.2025.**
2. Document Down load Start Date : **24.12..2025**
3. Last Date/ Time for receipt of bids through e-tendering: **30.12..2025** upto 1700 hrs.
4. The technical qualification part of the bids will be opened online at 1100 Hours on **31.12.2025** in the office of Executive Engineer, Chopal Division HPPWD Chopal by the authorized officers. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened online on the next working day at the same time.

The Bidders are advised to note other details for tenders from the department **website www.hptenders.gov.in**. and any corrigendum will be uploaded on the website only.

Executive Engineer,
HPPWD Division Chopal.
E-mail: ee-cho-hp@nic.in

No. 5229

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY
INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY REGIONAL CENTRE, CHANDIGARH

No.IG/RC-Chd/Shifting/2025/ Date:24.12.2025

Notice Inviting Tender

Sealed tenders/quotations are invited from the bona-fide registered transporters/Movers & Packers having full-fledged service facilities and registered office in Haryana & Chandigarh for shifting of Office furniture / equipments/ materials etc. Details are available on http://rcchandigarh.ignou.ac.in/

Sr. Regional Director

डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
(राज्य विधायिका अधिनियम II ऑफ 1956 के द्वारा स्थापित)
(ए ++ एनएएसी मान्यता प्राप्त)

शुद्धिपत्र

एएनआरएफ-पीएआईआर परियोजना में अनुसंधान पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिनांक 19.12.2025 के प्रत्युत्तर में

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02-01-2026 को दोपहर 12.00 बजे तक है। पीएचडी डिग्री प्रदान करने की तिथि 19.12.2025 पढ़ी जाए और स्नातक डिग्री प्रदान करने की तिथि भी 19.12.2025 पढ़ी जाए।

उम्मीदवार जिन्होने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की वेबसाईट (https://kuk.ac.in/recruitment-notice-3/ दिनांक 27.11.2025) पर हमारे पूर्व विज्ञापन के उत्तर में इन पदों के लिए पहले ही आवेदन किया है, उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक विवरण हेतु, कृपया हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाईट लिंक https://kuk.ac.in/recruitment-notice-3/ दिनांक 18.12.2025 देखें।

पीआई, एएनआरएफ-पीएआईआर परियोजना

PRDH-1238/11/122/2026/41414/C/67/4

थाना सदर जिला गुरुग्राम

एफआईआर सं. 619 दिनांक 03.08.2025 धारा 127 (6) बी.एन.एस.
पुलिस स्टेशन सदर, गुरुग्राम

इस्तहार तलाश गुमशुदा बारे

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.09.2025 को शिकायतकर्ता अनीता ने हाजिर चोकी झाड़सा आकर एक लिखित शिकायत पेश की है कि उसका पति छग्गन लाल दिनांक 15.07.2025 को दिन में सुबह बिना बताए कहीं पर चला गया है। तलाश कराई जावे जिसकी पहचान इस प्रकार से है रंग सांवला, लम्बूतरा चेहरा, शरीर पतला, कद 5 फुट 6 इंच उम्र 45 साल जिसने पीले रंग की टी-शर्ट व पीले रंग की लोअर पहनी है। कुछ पता चलने पर प्रबंधक थाना सदर गुरुग्राम को सूचित करें।

संपर्क करें : 9319151712, 8595953201,
प्रबंधक थाना : 9999981825
थाना सदर गुरुग्राम
दिनांक : 18.09.2025

पुलिस स्टेशन सदर गुरुग्राम
दिनांक : 18.08.2025

PRDH-1084/11/4261/2026/41384/67/4

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, करनाल

डीडी नंबर 17 दिनांक 22.12.2025 धारा 194 बी.एन.एस.एस.
थाना शहर, जिला करनाल

इश्तिहार नाश

हुलिया : रंग गोरा लम्बूतरा चेहरा आंखें व मुंह खुला हुआ उम्र करीब 55 साल।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22.12.2025 को थाना शहर क्षेत्र में करनाल में करीब सुबह 8.00 बजे नेहरु पैलेस मनोज वस्त्र भंडार के पास एक अज्ञात व्यक्ति की नाश मिली है। जिसका दुबला शरीर मुंह पर सफेद रंग की दाढ़ी है। जिसने काफी कलर का हाफ बाजू का स्वेटर पिले रंग की गोल गले की टी-शर्ट व काले रंग की पेंट तैई से निकली हुई है। जिसको कल्पना चावला होस्पिटल के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी अज्ञात डैड बाडी की अभी तक पहचान नहीं हुई है। करनाल पुलिस का आमजन से निवेदन है कि अगर किसी व्यक्ति को इस अनजान शव की पहचान के बारे में कोई सुराग पता चलता है तो कृपया नीचे दिए गए फोन नंबरों पर सूचित करें।

एसएचओ थाना शहर करनाल - 9729990711
अनुसंधान अधिकारी -9991424374
कंट्रोल रुम करनाल : 112, 2208222, 23

प्रवक्ता करनाल पुलिस,
कृते पुलिस अधीक्षक,
करनाल

PRDH-1084/11/4264/2026/41388/67/4